केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक: 25.04.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/105

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00091
CICOM/R/2019/00263

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख : 25.04.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.04.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	139/24.04.2019 (11631/23.04.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 4 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें बिंदुवार सूचना नहीं दी गई है साथ ही यह भी लिखा है कि "केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कौन है श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा या श्री एस. पी. वेक अस्पष्ट है" ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 13.03.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 5 (4) के तहत श्री एस. पी. वेक, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की सहायता लेकर दिनांक 04.04.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00263 के माध्यम से बिंदुवार सूचना प्रदान कर दी गई है । अपीलकर्ता का यह कथन कि बिंदुवार सूचना नहीं दी गई है, बिल्कुल आधारहीन है । अपीलकर्ता का दूसरा कथन कि "जन सूचना अधिकारी कौन है, अस्पष्ट है" यह भी आधारहीन है, क्योंकि प्रदान की गई सूचना में सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी के नाम के साथ साथ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी भी लिखा हुआ है । श्री एस. पी. वेक द्वारा वांछित सूचना सहायतार्थ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. सेल को प्रेषित की गई है, न कि अपीलकर्ता को । श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिंदुवार एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
25 APR 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।